3611

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक 125 /
दो–15–3 / 90

रीवा, दिनांक 25 / 10 / 2023

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक–827 / गोपनीय / 2023 / दो–8–3 / 10 जबलपुर दिनांक 14.09.2023 के द्वारा श्री आशीष ताम्रकार षष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा को रजिस्ट्रार सशस्त्र बल न्यायाधिकारण क्षेत्रीय पीठ जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति किए जाने एवं उनके स्थान पर किसी न्यायिक अधिकारी की पदस्थापना न किये जाने के फलस्वरूप उक्त न्यायालय वर्तमान में रिक्त है। माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक–बी / 7445 III-6-4/2003 जबलपुर दिनांक 11.10.2023 के द्वारा श्री दिलीप सिंह 11वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा एवं श्री आदेश कुमार जैन प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश मउगंज को विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश नियुक्त करते हुए अधिसूचित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक–बी / 7445 III-6-4/2003 जबलपुर दिनांक 11.10.2023 के अनुक्रम में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–408 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए षष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में लंबित विद्युत अधिनियम 2003 से संबंधित समस्त प्रकरणों को उक्त न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु 11वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में एवं द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज के न्यायालय में लंबित विद्युत अधिनियम 2003 से संबंधित समस्त प्रकरणों को उक्त न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश मउगंज के न्यायालय में अंतरित किये जाते हैं।

sd/-
(सुबोध कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0 4765 /
दो–15–3 / 90

रीवा, दिनांक 25 / 10 / 2023

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. षष्टम / 11वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा को निर्देशित किया जाता है कि सूची अनुसार प्रकरण यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय की / से ओर प्रेषित / प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
2. द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश / प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज के न्यायालय अतिरिक्त न्यायाधीश मउगंज को निर्देशित किया जाता है कि सूची अनुसार प्रकरण यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय की / से ओर प्रेषित / प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा / मउगंज की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. जे0एस0ए0 / डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)